OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE, GOVT. OF INDIA,
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
ANDHERI (E), MUMBAI – 400 096
Tel. No. 28294770 Fax No. 28291754/1385
E-mail: dcseepz-mah@nic.in, Website: www.seepz.gov.in

No. SEEPZ-SEZ/EMS/G/115/2002-03/33250 **04.11.2016**

Show Cause Notice under Sub-Section (1) And Clause (b)(ii) of Sub Section (2) of Section 4 of The Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971

1. WHEREAS, the **LOA No. 7/6/90-EPZ** dated **11.02.1991** issued to **M/s. Basic Jewellery (I) Pvt. Ltd.** (hereinafter referred to as the "Noticee" for the sake of brevity) in respect of unit no.G-39, G & J Complex- III, SEEPZ-SEZ, Andheri East (hereinafter referred to as the said premises for the sake of brevity) **has expired on 31.03.2015.**

2. AND WHEREAS, the Noticee has failed to execute the sub-lease agreement in respect of the said premises for the period of 5 years ***w.e.f. dt. 31.03.2015***.

3. AND WHEREAS, the Noticee has failed to clear the Outstanding Government dues of Rs.2,42,547.26/- (Rupees Two Lacs Forty Two Thousand Five Hundred Forty Seven and Twenty Six Paise) pending as on 01.09.2016.

W

विकास आयुक्त का कार्यालय
सीप्ज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र
वणिज्य और उद्योग मंत्रालय
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096
टेलीफोनः- 28294770 फैक्सः- 28291754 1385
ई-मेलः dcseepz-mah@nic.in **वेबासाइटः** www.seepz.gov.in

सीप्ज़-सेज़/ईएमएस/जी/115/2002-03/ दिनांक 04.11.2016

सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोग बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (बी)((ii) तथा उपधारा (1) के अंतर्गत कारण बताओं नोटिस ।

1. जबकि **मेसर्स बेसिक ज्वैलरी (आइ) प्रा. लि.** (जिसका इसमें आगे संक्षिप्तता के लिए नोटिसप्राप्तकर्ता के रूप में उल्लेख किया गया है) को यूनिट नं. जी 39, जी एंड जे, कॉम्प्लेक्स III, सीप्ज़ - सेज़, अंधेरी पूर्व, जिसका इसमें आगे संक्षिप्तता के लिए उक्त परिसर के रूप में उल्लेख किया गया है को **एलओए नं. 7/6/90-ईपीज़ेड दिनांक** 11.02.1991 जारी किया गया था, जो **दिनांक 31.03.2015 को समाप्त हो गया है ।**

2. तथा जबकि नोटिसप्राप्तकर्ता अपने उक्त परिसर के संबंध में **दिनांक 31.03.2015** से अगले 5 वर्षों के लिए उक्त परिसर के संबंध में उप ठेका करार निष्पादित करने में विफल रहे हैं ।

3. तथा जबकि नोटिसप्राप्तकर्ता दिनांक 01.9.2016 को 2,42,547.26/- रू. (दो लाख बयालीस हजार पांच सो सैंतालीस तथा छब्बीस रू. मात्र) का बकाया सरकारी देय का भुगतान करने में विफल रहे हैं ।

4. तथा जबकि दिनांक 12.8.2016 को निरीक्षण के समय यूनिट बंद पाया गया था ।

5. तथा जबकि मै, अधोहस्ताक्षरी, निम्नलिखित आधार पर जिसका उल्लेख नीचे किया गया है, यह समझता हूं कि नोटिसप्राप्तकर्ता नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित सार्वजनिक परिसर का अप्राधिकृत अधिभोगी है तथा नोटिसप्राप्तकर्ता को उक्त परिसर से बेदखल किया जाए ।

   (i) **दिनांक 01.4.2015** से वैध एलओए प्राप्त करने में विफल रहना ।
   (ii) **दिनांक 31.3.2015** से अगले 5 वर्ष के लिए उप ठेका करार का निष्पादन न किया जाना ।
   (iii) दिनांक 01.9.2016 की स्थिति के अनुसार लंबित **2,42,547.26/- रू.** (दो लाख बयालीस हजार पांच सो सैंतालीस तथा छब्बीस रू. मात्र) का बकाया सरकारी देय का भुगतान न किया जाना ।

....

4. AND WHEREAS, The Unit was found closed at the time of inspection on date 12.08.2016.

5. AND WHEREAS, I the undersigned, am of opinion, on the grounds specified herein below, that the Noticee is in unauthorized occupation of the Public Premises mentioned in the schedule below and that the Noticee should be evicted from the said premises:

(i) Failure in holding a valid LOA since **01.04.2015**.

(ii)Failure in executing the sub-lease agreement for the period of 5 years ***w.e.f. dt. 31.03.2015.***

(iii)Failure to pay the Outstanding Government dues of **Rs.2,42,547.26/-** (Rupees Two Lacs Forty Two Thousand Five Hundred Forty Seven and Twenty Six Paise) pending as on 01.09.2016.

(iv) For keeping the premises closed.

6. NOW THEREFORE, in view of the facts stated hereinabove, Noticee is hereby called upon under sub-section (1) and clause (b) (ii) of sub section (2) of section 4 of the Public Premises (Eviction of Unauthorized Occupants) Act, 1971 to show-cause on or before **30.11.2016** as to why an order of eviction should not be passed against the Noticee, on the grounds as mentioned hereinabove.

7. Reply to the notice in this regard along with sufficient evidence which the Noticee intends to produce in support of the explanation should reach the undersigned within **15 days** from the date of receipt of show-cause notice, failing which it will be presumed that the Noticee has nothing to state in the matter, and the case will be decided on the

(iv) परिसर को बंद रखना ।

6. अतएव, अब उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नोटिसप्राप्तकर्ता को इसके द्वारा सार्वजनिक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोग बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (बी)((ii) तथा उपधारा (1) के अंतर्गत **दिनांक 30.11.2016** तक अथवा इसके पूर्व कारण बताने के लिए कहा जाता है कि क्यों न उपर्युक्त आधार पर नोटिसप्राप्तकरता के विरूद्ध बेदखली आदेश पारित किया जाए ।

7. इस नोटिस का उत्तर पर्याप्त प्रमाणों के साथ जो नोटिसप्राप्तकर्ता अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहता हो इस कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति की तारीख से **15 दिनों** के अंदर अधोहस्ताक्षरी को भिजवाए, ऐसा न करने पर यह समझा जाएगा कि नोटिसप्राप्तकर्ता को इस मामले में कुछ भी नहीं कहना है तथा इस मामले में रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा सामग्रियों के आधार पर नोटिसप्राप्तकर्ता से आगे बिना कोई पत्रव्यवहार किए निर्णय लिया जाएगा ।

8. यह कारण बताओ नोटिस नोटिसप्राप्तकर्ता के विरूद्ध किसी अन्य कार्रवाई जोकि इस समय लागू अन्य किसी विधि के अंतर्गत की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किया जाता है ।

9. नोटिसप्राप्तकर्ता यदि चाहे तो सीप्ज़ सर्विस सेंटर बिल्डिंग, सीप्ज़ - सेज़ में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष **दिनांक 01.12.2016 को पूर्वाह्न 11.30 बजे** व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस मामले में अपना पक्ष रख सकता है ।

: अनुसूची :

मेसर्स बेसिक ज्वैलरी (इं) प्रा. लि.
यूनिट नं. जी - 39, जी एंड जे कॉम्प्लेक्स - III
सीप्ज़ - सेज़, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 96

स्थान : मुंबई
दिनांक : 04.11.2016

(विजय प्रकाश शुक्ल)
संयुक्त विकास आयुक्त /
प्रबंधक (संपदा)
सीप्ज़ - सेज़ प्राधिकरण

basis of facts and material available on record without making further reference to the Noticee.

8. This Show Cause Notice is issued without prejudice to any other action that may be taken against the Noticee under any other law for the time being in force.

9. The Noticee may, if so desire, also present the case personally on **01.12.2016** at **11.30 a.m.** before the undersigned at SEEPZ Service Centre building, SEEPZ-SEZ.

: Schedule :

M/s. Basic Jewellery (I) Pvt. Ltd.

Unit no.G-39, G & J Complex- III,

SEEPZ SEZ, Andheri (E), Mumbai – 96.

Place : Mumbai

Date : 04.11.2016

(V.P.Shukla)

JDC/Manager (Estate),

SEEPZ SEZ Authority